संग्रहकर्ता

राजकीय बौद्ध संग्रहालय

गोरखपुर

(संस्कृति विभाग, उ०प्र०)

दानदाता

आधारशिला परिवार

गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

समझौता ज्ञापन

(मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैडिंग)

प्रथम पक्ष – राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर, (संस्कृति विभाग) उत्तर प्रदेश।

द्वितीय पक्ष – चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

यह समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (जिन्हें यहाँ प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0 (जिन्हें यहाँ द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य **"कला एवं संस्कृति संवर्धन के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन"** हेतु नैतिक सहयोग की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित शर्तों के साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए निष्पादित किया जा रहा हैं।

परिभाषायें –

(क) संग्रहालय का तात्पर्य – "राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर से है।

(ख) समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) –"सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत" से है।

1. राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर द्वारा छात्राओं के लिए शैक्षिक कार्यशालाओं, सेमीनार, अधिवेशन, कला शिविर, प्रतियोगिताएं, व्याख्यान, विशिष्ट लघु सर्टिफिकेट कोर्स आदि का आयोजन निःशुल्क किया जायेगा।

2. राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के कार्यक्रमों हेतु महाविद्यालय अभ्यास कक्ष, सभाकक्ष, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं अन्य सुविधाएं समय–समय पर आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

3. राजकीय बौद्ध सग्रहालय, गोरखपुर की वीथिकाओ का भ्रमण महाविद्यालय की लगभग प्रत्येक कक्षा की छात्राओं को कराया जायेगा। शैक्षिक भ्रमण पर संग्रहालय आने वाली छात्राओं एवं शिक्षकों का प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क होगा। शैक्षिक भ्रमण महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

..........2/

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संग्रहालय द्वारा कम से कम दो आयोजन महाविद्यालय में कराया जाना तथा महाविद्यालय द्वारा दो आयोजन संग्रहालय में कराया जाना प्रस्तावित होगा।

5. स्थानीय स्तर पर समस्त निर्णय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की आपसी सहमति पर मान्य होंगे।

अतः यह मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैडिंग पक्षकारों के मध्य बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से दिनांक 07 अक्टूबर 2023 को निम्नवत् गवाहान के समक्ष निष्पादित किया जाता है, ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

(प्रथम पक्ष)	(द्वितीय पक्ष)
उप निदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (संस्कृति विभाग, उ0प्र0)	प्राचार्य चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0

<u>गवाहान</u>

1.

2.

1.

2.

Scanned with OKEN Scanner